प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस.एल.एस.एम.सी.) की बैठक दिनांक 04.11.2024 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. पी0 गुरू प्रसाद, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
2. डॉ0 अनिल कुमार, निदेशक, सूडा।
3. श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
4. श्री सन्त लाल, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. श्री अनिल कुमार, विशेष सचिव, राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
6. श्री संजीव गुप्ता, वित्त नियन्त्रक, सूडा।
7. श्री अनिल कुमार मिश्र, सी0टी0सी0पी0, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0।
8. श्री निखिल माथुर, वरिष्ठ प्रबन्धक, एस0एल0बी0सी0।
9. श्री संजीव द्विवेदी, प्रबन्धक, एस0एल0बी0सी0।
10. श्री अतुल सिंह चौहान, कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
11. श्री सुनील कुमार, ओ0एस0डी0, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. इमरान अहमद खान, पर्यावरण अभियन्ता, यू0पी0पी0सी0बी0।

मिशन निदेशक, एसएलएनए द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 हेतु भारत सरकार के साथ मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट (एम0ओ0ए0) हस्ताक्षर किए जाने हेतु प्रस्तुतीकरण किया जाना है।

एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 28.08.2024 को अनुमोदित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया जाना है, जो निम्नवत् है-

- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त किये जाने हेतु टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी ए0टी0आर0 प्रेषित की जानी है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त किये जाने हेतु टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी ए0टी0आर0 प्रेषित की जानी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में लाभार्थियों का बैनिफिशियरी मॉडिफिकेशन/ अटैचमेन्ट में संशोधन किया जाना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

भागीदारी में किफायती आवास घटक की 07 परियोजनाओं के संशोधित अनुलग्नक-7बी के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त अनुपूरक एजेण्डा के रूप में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिनका विवरण निम्नवत् हैं-

- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त किये जाने हेतु टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी ए0टी0आर0 प्रेषित की जानी है।
- भागीदारी में किफायती आवास घटक (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत स्वीकृत 02 परियोजनाओं में 2,409 आवासों का विभिन्न कारणों से निरस्तीकरण किया जाना है।

<u>एजेण्डा 01-</u>प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 हेतु भारत सरकार के साथ मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट (MoA) हस्ताक्षर किए जाने हेतु प्रस्तुतीकरण।

अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.09.2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का शुभारम्भ किया गया है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन हेतु, अनिवार्य रिफार्म लागू किये जाने की सहमति के साथ, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मध्य मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट (MoA) हस्ताक्षरित किया जाना है। इस हेतु सम्बन्धित विभागों से रिफार्म के सम्बन्ध में मत प्राप्त किया जाना आवश्यक है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

	Urban Reform proposed in Scheme Guidelines	Concerned Department
	Mandatory formulation of Affordable Housing Policy by March, 2025	Dept. of Housing and Urban Planning
	A. Phase 1 - By December 2024:	
i	Nominal (less than 1%) Stamp duty/Registration Charges for houses (up to 60 sqm) registered under PMAY-U 2.0.	Stamp & Registration Department
ii	50% additional FAR with TDR facility free of cost and built-up area used for EWS/LIG, not to be counted in overall FAR of the project.	Dept. of Housing and Urban Planning
	B. Phase 2 - By June 2025:	
i	Reservation of Land/Area for Affordable Housing in relevant Scheme/Policy/Building Byelaws.	
ii	Inclusion of Affordable Housing Zones in the Master Plans/Town Planning Schemes	
iii	Single Window and time bound approval of building plans and layouts with minimal compliances within 60 days by devising a green channel approach.	

iv	Exemption of all statutory charges such as developmental charges, scrutiny charges, layout deposit and other related charges/fee.	Dept. of Housing and Urban Planning
v	Exemption of charges in Land Conversion/Land Use changes.	
vi	Mandatory reservation of 5% of built-up area for EWS/LIG housing in all housing projects beyond 10,000 sqm built-up area or 5,000 sqm plot area.	
vii	Adoption of Model Tenancy Act (drafted and sent by MoHUA) by enacting the fresh State legislation or amending the exiting tenancy law in order to promote rental housing segment.	
viii	Provision of land rights/patta by State/UT to landless for construction of Affordable Housing.	Land Owning Departments, i.e., Revenue, Housing & Urban Planning, Urban Development etc.
ix	Providing Land for construction of Affordable Housing in Partnership at affordable rates.	
x	Creation of land bank(s) for construction of houses under AHP by mapping the land available in their jurisdiction along with the ownership details.	Dept. of Housing and Urban Planning
xi	Streamlining the process of documentation related to acquiring land ownership as an integral part of urban reforms.	Revenue Department
xii	Other such similar reforms	

योजना के दिशा-निर्देश एवं उक्त रिफार्म के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। उपरोक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार एवं भारत सरकार के मध्य मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट (MoA) हस्ताक्षरित किये जाने का समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-02 : SLSMC द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित उप-समिति द्वारा दिनांक 28.08.2024 को अनुमोदित प्रस्ताव की स्वीकृति।

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) की स्वीकृति।

अवगत कराया गया कि एस0एल0एस0एम0सी0 की बैठक दिनांक 10.09.2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ए0टी0आर0 के सम्बन्ध में एस0एल0एस0एम0सी0 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि "जनपद स्तर पर तैनात परियोजना अधिकारी, डूडा एवं इंजीनियर द्वारा टी0पी0क्यू0एम0 एजेन्सी की आख्या में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या प्राप्त कर ली जाये।"

उक्त के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (BLC) घटक के अन्तर्गत 68वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 92 परियोजनाओं

में टी०पी०क्यू०एम०ए० की द्वितीय विजिट तथा 69वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 06 परियोजनाओं में टी०पी०क्यू०एम०ए० की प्रथम विजिट की रिपोर्ट में दर्शायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए सम्बन्धित जनपदों के परियोजना अधिकारी डूडा एवं इंजीनियर द्वारा संयुक्त निरीक्षण व अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्राप्त आख्याओं के अनुसार तैयार की गयी 98 परियोजनाओं की Action Taken Report की संस्तुति उप-समिति द्वारा दिनांक 28.08.2024 को की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

S.No.	CSMC No./Date	No. of Projects	No. of Sanctioned DUs	No. of DUs Visited
2nd Visit				
1	68th CSMC Dt. 18-10-2023	92	77,882	8,091
1st Visit				
2	69th CSMC Dt. 04-03-2024	06	13,638	1,389
	Total	**98**	**91,520**	**9,480**

अवगत कराया गया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक की परियोजनाओं में थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग (TPQMA) एजेन्सी द्वारा किए गए निरीक्षण की आख्या में उल्लेख की गयी विशिष्ट टिप्पणियां (Specific Observation) एवं उनकी अनुपालन आख्या (Compliance) निम्नवत् है:

S. No.	Specific Observation	Compliance
1	Honeycomb visible in Column	Honeycomb has been repaired with grout and cement mortar as per relevant codes and recommendations by TPQM.
2	Airvoids are visible in lintel	Surface airvoids have been filled in using cement mortar and lean concrete.
3	Column reinforcement ties hook was not bent at 135 degree	The reinforcement ties were reopened and installed again at prescribed angle.
4	Key was not provided in RCC column after concerting work	Most houses are are single story and columns were not required to go higher. Wherever required, dowels are inserted as per relevant practices for further extension.
5	Bulging was observed in beam. Key was not provided in RCC column after concerting work	The buldging concrete is grinded to reshape the beams and ensure proper shape.
6	Proper depth of beam is not provided	Beam depth increased by adding concrete after chiping of finished surface to ensure stability.

इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग (TPQMA) एजेन्सी द्वारा निरीक्षण में पायी गयी सामान्य टिप्पणियां एवं उनकी अनुपालन आख्या निम्नवत् है:

क्र.सं.	सामान्य टिप्पणियां	अनुपालन

1	अधिकतर आवासों में आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लास्टर का कार्य कराया जाना षेष है।	एजेन्सी द्वारा द्वितीय विजिट की गयी है, जिसमें अधिकांश आवास लिन्टल एवं रूफ लेवल पर है। आवास पूर्ण कराने से पूर्व आन्तरिक विद्युतीकरण एवं प्लास्टर का कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।
2	कुछ लाभार्थियों द्वारा विद्युतीकरण का कार्य असुरक्षित रूप से कराया जा रहा है।	इस सम्बन्ध में लाभार्थियों को अवगत कराते हुए सुरक्षित रूप से विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
3	भवन निर्माण सामग्री स्थानीय विक्रेता से क्रय किए जाने के कारण परीक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हैं।	प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा निर्मित सीमेन्ट एवं सरिया का उपयोग किया जा रहा है, जिस कारण प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
4	भवनों को भूकम्परोधी बनाने के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का उपयोग किया गया है।	सिस्मिक जोन के आधार पर ही भवन का निर्माण किया जा रहा है।
5	कतिपय लाभार्थियों द्वारा प्रषिक्षित मिस्त्री से निर्माण नहीं कराया जा रहा है।	आवास निर्माण का कार्य करने वाले मिस्त्री भी कुशल कामगारों की श्रेणी में ही आते हैं, जिसके लिए किसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6	सीवरेज प्रणाली उपलब्ध न होने के कारण कतिपय लाभार्थियों द्वारा आवास के अन्दर ही सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जा रहा है।	सेप्टिक टैंक का निर्माण आवास के अन्दर किया जा सकता है, जिस कारण कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष-

1. निर्माण कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार कराया जा रहा है।

2. मुख्यतः निर्माण की गुणवत्ता सन्तोषजनक है, पायी गयी कुछ कमियों के सम्बन्ध में लाभार्थियों को अवगत करा दिया गया है।

3. निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर अनुश्रवण की आवश्यकता है।

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा अपनी भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अच्छे स्तर की निर्माण सामग्री का उपयोग एवं अत्यन्त सर्तकता के साथ भवन निर्माण करा रहे हैं। इस कारण बी0एल0सी0 घटक में निर्मित होने वाले अधिकतर आवासों की गुणवत्ता उच्च स्तर की है। आवास निर्माण में लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कन्सलटेन्सी को नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा नियमित रूप

से निर्मित हो रहे आवासों का अनुश्रवण किया जाता है, जिस कारण आवासों में गम्भीर तकनीकी त्रुटि की सम्भावना कम है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष उप-समिति द्वारा अनुमोदित 98 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

2.2 **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (AHP) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयी Action Taken Report (ATR) की स्वीकृति।**

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत 31वीं, 34वीं, 36वीं, 38वीं, 39वीं, 41वीं एवं 56वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 17 परियोजनाओं में भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अथवा आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	विभाग का नाम	CSMC बैठक सं0 एवं तिथि	जनपद	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	विजिट सं0
1	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	36वीं/24.07.18	मुरादाबाद	सोनकपुर योजना	176	1st
2	कानपुर विकास प्राधिकरण	38वीं/26.09.18	कानपुर	सेक्टर-1, जवाहरपुरम	3,072	1st
3	कानपुर विकास प्राधिकरण	41वीं/27.12.18	कानपुर	सेक्टर-3, शताब्दी नगर	1,152	1st
4	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	56वीं/23.11.21	प्रयागराज	लूकरगंज, प्रयागराज	76	1st
5	बरेली विकास प्राधिकरण	36वीं/24.07.18	बरेली	खसरा सं0-572, ग्राम हमीरपुर	364	1st
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	38वीं/26.09.18	इटावा	स्पिनिंग मिल, इटावा	144	1st
7	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	38वीं/26.09.18	गोण्डा	सिविल लाइन, गोण्डा	528	1st
8	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	42वीं/24.07.18	मेरठ	सेक्टर-8ए, जागृति विहार, मेरठ	672	1st
9	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	38वीं/26.09.18	लखनऊ	जाहिरपुर, कुर्सी रोड	480	2nd

10	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	31वीं/27.02.18	मुरादाबाद	गाटा सं0 357, शाहपुर टिगरी	288	2nd/3rd
11	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	31वीं/27.02.18	मुरादाबाद	नियर ईको हर्बल पार्क (पॉकेट-2)	432	2nd/3rd
12	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	31वीं/27.02.18	मुरादाबाद	न्यू मुरादाबाद योजना, पॉकेट-1	288	2nd/3rd
13	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	38वीं/26.09.18	मुरादाबाद	ग्राम-ढक्का	144	2nd/3rd
14	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	38वीं/26.09.18	मुरादाबाद	ग्राम-लाकड़ी फाज़लपुर	384	2nd/3rd
15	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	36वीं/24.07.18	मुरादाबाद	सोनकपुर योजना	176	2nd/3rd
16	वाराणसी विकास प्राधिकरण	39वीं/30.10.18	वाराणसी	ग्राम कुरूहुआ	250	3rd
17	वाराणसी विकास प्राधिकरण	34वीं/30.05.18	वाराणसी	साई सिटी (ग्राम हरूआ)	608	3rd

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष उप-समिति द्वारा अनुमोदित 17 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-3 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में लाभार्थियों का बैनिफिशियरी मॉडिफिकेशन/अटैचमेण्ट में संसोधन के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार के एम0आई0एस0 पोर्टल पर लाभार्थियों के अटैचमेन्ट के समय की गयी प्रविष्टियों में संशोधन किया जाना है। उक्त में बी0एल0सी0 घटक के अन्तर्गत कुल 51 जनपदों में 1796 लाभार्थियों के अटैचमेन्ट में संशोधन किया जाना है, जिसमें 805 लाभार्थियों का श्रेणी (Caste) एवं लिंग (Gender) में संशोधन तथा 991 लाभार्थी out of DPR होने के कारण सम्मिलित है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

S.No	District	No of Benificieries		
		Caste & Gender modification	Wrong Attachment/Out of DPR Request	Total
1	Agra	0	54	54
2	Aligarh	16	18	34
3	Ambedkar Nagar	0	4	4
4	Amethi	15	0	15
5	Auraiya	1	1	2
6	Baghpat	0	5	5

7	Ballia	3	63	66
8	Balrampur	2	0	2
9	Banda	0	4	4
10	Bara banki	19	44	63
11	Bareilly	3	0	3
12	Basti	102	89	191
13	Bhadohi	0	28	28
14	Bijnor	0	14	14
15	Chandauli	5	0	5
16	Chitrakoot	2	3	5
17	Etah	2	0	2
18	Etawah	2	0	2
19	Farrukhabad	5	0	5
20	Fatehpur	4	60	64
21	Ghaziabad	0	19	19
22	Ghazipur	55	0	55
23	Gorakhpur	18	49	67
24	Jalaun	23	0	23
25	Jaunpur	3	71	74
26	Jhansi	0	11	11
27	Kannauj	11	0	11
28	Kanpur Dehat	6	3	9
29	Kanpur Nagar	4	0	4
30	Kasganj	10	16	26
31	Lakhimpur Kheri	8	0	8
32	Lalitpur	6	27	33
33	Lucknow	17	0	17
34	Maharajganj	17	2	19
35	Mahoba	16	141	157
36	Mainpuri	9	0	9
37	Mathura	12	111	123
38	Mau	14	0	14
39	Meerut	1	0	1
40	Mirzapur	199	0	199
41	Moradabad	0	3	3
42	Pilibhit	3	0	3
43	Pratapgarh	12	0	12
44	Prayagraj	14	18	32
45	Rae Bareli	7	0	7
46	Saharanpur	0	130	130
47	Sant Kabir Nagar	78	0	78
48	Sitapur	1	2	3
49	Sonbhadra	1	1	2
50	Unnao	75	0	75
51	Varanasi	4	0	4
	Total	**805**	**991**	**1796**

ए0एच0पी0 घटक में जनपद कानपुर के 342, फिरोजाबाद के 06, मुजफ्फरनगर के

16, अलीगढ़ के 22 एवं लखनऊ के 71 लाभार्थियों के एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्शाये गये विवरण यथा-जनपद, पता, पिता का नाम आदि में संशोधन तथा श्रेणी (Caste), लिंग (Gender) व अटैचमेन्ट अन्य परियोजनाओं में हो जाने के कारण कुल 457 लाभार्थियों के अटैचमेन्ट में संशोधन किया जाना है अथवा आवंटन निरस्त किये जाने के कारण अटैचमेन्ट पोर्टल से हटाया जाना है, जिससे प्रोजेक्ट क्लोजर किया जा सके।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-04 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में एनुअल कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान के अन्तर्गत एसएलटीसी/ सीएलटीसी का गठन, प्रशिक्षण/वर्कशॉप (राज्य/शहर स्तर) एक्सपोजर विजिट, रिसर्च स्टडीज, आई0ई0सी0, टीपीक्यूएम, जिओ टैगिंग, प्लान ऑफ एक्शन एवं प्रशासनिक व्यय हेतु वर्ष 2024-25 का प्रस्तावित बजट निम्नवत् है -

Sl. No.	Activity	Budget (Rs. In Lacs)		
		Central Share	State Share	Tot
1	Establishment of SLTC and CLTC	610.33	203.45	813.
2	Trainings and workshops	14.00	0.00	14.(
3	Exposure Visits	9.00	0.00	9.0
4	Documentations/Research	5.00	0.00	5.0
5	IEC	90.00	0.00	90.(
6	TPQM	178.20	59.40	237.
7	Social Audit	3.50	0.00	3.5
8	Administrative Expenses (A&OE)	90.00	30.00	120.
Total		**1000.03**	**292.85**	**1292**

इस प्रकार कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान हेतु कुल रू0 1292.88 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें केन्द्रांश रू0 1000.03 लाख तथा राज्यांश रू0 292.85 लाख है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-05 भागीदारी में किफायती आवास घटक की 07 परियोजनाओं के संशोधित अनुलग्नक-7बी के अनुमोदन पर विचार।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक की स्वीकृत परियोजनाओं में से 07 परियोजनाओं में लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवासों का आवंटन किया गया है, जिस हेतु परियोजनाओं में आवंटन के अनुसार जाति एवं लिंग के विवरण को संशोधित कर परियोजनाओं हेतु अनुलग्नक-7बी उपाध्यक्ष, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण एवं आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

द्वारा उपलब्ध कराते हुए एमआईएस पोर्टल पर विवरण अपडेट कराने का अनुरोध किया गया है, जिसके आधार पर एम0आई0एस0 पोर्टल पर निम्नलिखित परियोजनाओं के अनुलग्नक-7बी में संशोधन किया जाना है-

S. No.	Implementing Agency	Project Title	Sanction Date	Sanction DUs	DUs Allotted	DUs Unalloted	Gen.	SC	ST	OBC	Total	Male	F
1	Lucknow Dev Auth	Sec.-1, Vasant Kunj	26.09.18	**4512**	**1197**	3315	3354	50	0	1108	**4512**	3963	
2	Lucknow Dev Auth	Sec.-J, Jankipuram	24.07.18	**288**	**288**	0	115	32	0	141	**288**	164	
3	Ghaziabad Dev Auth	Noor Nagar, Raj Nagar Extn.	28.06.19	**480**	**471**	9	239	101	10	130	**480**	289	
4	Prayagraj Dev Auth	Pushpa Niketan, Pushpa Ganga & Shree Raj Pushp	25.02.19	**556**	**534**	22	299	110	0	147	**556**	189	
5	Muzaffarnagar Dev Auth	Vill. Bhopa Road Crossing	26.09.18	**224**	**209**	15	126	38	0	60	**224**	103	
6	UPAVP	Barabanki	26.09.18	**1,344**	**1,332**	12	674+12 = 686	282	14	362	**1,344**	715+12 = 727	
7	UPAVP	Sec.-8A, Jagriti Vihar, Meerut	26.09.18	**528**	**508**	20	306+20 =326	57	01	144	**528**	307+20 = 327	

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि परियोजनाओं की स्वीकृति के समय लाभार्थियों का चयन अनिवार्य न होने के कारण पोर्टल पर प्रोजेक्ट क्रिएशन के समय समस्त आवासों को सामान्य श्रेणी में दर्शाया जाता है। भागीदारी में किफायती आवास घटक में आवास आवंटन शासनादेश सं0-1022/आठ-1-18-93 विविध/2018 दिनांक 11 जुलाई, 2018 में उल्लिखित वरीयता नीति के अनुसार किया जाता है। उपरोक्तानुसार पोर्टल पर अंकित परियोजनाओं के श्रेणीवार विवरण में आवंटित आवासों के आधार पर संशोधन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान तक अनावंटित आवासों को सामान्य (General) व पुरूष (Male) श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जिसे अग्रेत्तर आवंटन उपरान्त पुनः संशोधित किया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण एवं आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के हस्ताक्षरोपरान्त प्राप्त हुए हैं।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि अनावंटित आवासों को शीघ्र आवंटित कराया जाये।

अनुपूरक एजेण्डा

एजेण्डा-01-प्रधानमंत्रीआवास योजना- शहरी के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में केन्द्रांश की आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गयीएक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) के अनुमोदन पर विचार।

अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के भागीदारी में किफायती

आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत 29वीं, 38वीं एवं 44वीं सीएसएमसी में स्वीकृत 05 परियोजनाओं में भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त करने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट (TPQMA) पर की गयी कार्यवाही (Action Taken Report) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण अथवा आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	विभाग का नाम	CSMC बैठक सं0 एवं तिथि	जनपद	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	विजिट सं0
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	38वीं/26.09.18	गाजियाबाद	प्रताप विहार	1200	1st
2	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	44वीं/28.06.19	गाजियाबाद	ग्राम नूर नगर	480	1st
3	कानपुर विकास प्राधिकरण	29वीं/27.12.17	कानपुर	महावीर नगर	5040	3rd
4	कानपुर विकास प्राधिकरण	29वीं/27.12.17	कानपुर	रामगंगा एन्क्लेव	576	3rd
5	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	38वीं/26.09.18	मुरादाबाद	सेक्टर-15, मझोला योजना	672	1st

उक्त ए0टी0आर0 सम्बन्धित प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद से उप-समिति की गत बैठक दिनांक 28.08.2024 के उपरान्त प्राप्त हुई है, जिस कारण इसे अनुमोदन हेतु सीधे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरान्त टी0पी0क्यू0एम0 रिपोर्ट के सापेक्ष 05 परियोजनाओं की ए0टी0आर0 हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

एजेण्डा-02 भागीदारी में किफायती आवास घटक (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत स्वीकृत 02 परियोजनाओं में 2,409 आवसों का विभिन्न कारणों से निरस्तीकरण की स्वीकृति।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक भागीदारी में किफायती आवास के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी अनारम्भ परियोजनाओं के निरस्तीकरण का प्रस्ताव कारण दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

निरस्तीकरण हेतु परियोजनाओं की संख्या	निरस्तीकरण हेतु आवासों की संख्या	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंशदान	कार्यदायी संस्था अंशदान	कुल परियोजना लागत
02	**2,409**	3,613.50	2,409.00	4,774.35	9,312.13	20,108.98

निरस्त की जाने वाली परियोजनाओं का विवरण व कारण निम्नवत् है:

क्र. सं.	प्राधिकरण	जनपद	परियोजना	स्वीकृत आवास	CSMC सं.	CSMC दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मै0 सिग्नेचर ग्लोबल)	गाजियाबाद	सिग्नेचर ग्लोबल, ग्राम मोरटा	873	42	30-01-19
2	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	गोरखपुर	ग्राम खोराबार उर्फ सूबा बाजार	1536	38	29-09-18

<u>गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मै0 सिग्नेचर ग्लोबल) की परियोजना के निरस्तीकरण का कारण</u>

योजनान्तर्गत प्राविधानों के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु अनेको बार विकासकर्ता को सूचित किये जाने उपरान्त भी वर्तमान तक मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विकासकर्ता द्वारा योजना को क्रियान्वित किये जाने में कोई रूचि नहीं है।

उक्त के कारण सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक-502 दिनांक 09.09 2024 से परियोजना के निरस्त किये जाने का अनुरोध के साथ प्रस्ताव किया गया है। साथ ही पत्र सं0-480 दिनांक 06 08.2024 के माध्यम से निविदा के साथ जमा जमानत धनराशि जब्त करने, परिवर्तित भू-उपयोग को मूल उपयोग में परिवर्तित करने एवं शासन द्वारा दिये गये समस्त लाभ वापस लिये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

<u>गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ग्राम खोराबाजार परियोजना के निरस्तीकरण का कारण</u>

संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-652/आठ-1-24- 1483/2019 टीसी दिनांक 30.08.2024 एवं आवास बन्धु के पत्र सं0-1272 दिनांक 07.08.2024 के माध्यम से परियोजना के निरस्तीकरण का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत खोराबार उर्फ सूबा बाजार में स्वीकृत 1,536 आवासों की परियोजना के निर्माण एवं विकास कार्य की कुल लागत रू0 14344.07 लाख में केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभार्थियों से कुल रू0 6912.00 लाख प्राप्त होने के पश्चात् अवशेष धनराशि रू0 7432.07 लाख का अतिरिक्त व्ययभार प्राधिकरण पर आयेगा, जिससे योजना वाइबिल नहीं हो पा रही है। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत परियोजना के अतिरिक्त वर्ष 2017 के लक्ष्य के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत 1500 आवासों का निर्माण किया गया है, जिस पर शासकीय अनुदान एवं लाभार्थी अंशदान के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा रू0 5083.49 लाख का व्यय किया गया है, जिससे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति प्रभावित है।

समिति द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं की वायबिलटी के सम्बन्ध में पुनः विचार करने के निर्देश दिये गये।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

सूडा द्वारा विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाएं संचालित की जा रही है, यथा-प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी। उक्त योजनान्तर्गत 17,20,293 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 16,20,913 आवास पूर्ण किये गये हैं। योजना की अवधि दिसम्बर, 2024 तक है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को लागू किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों का Socio Economic सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त Socio Economic सर्वे गिरि संस्थान से कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Signed by
(अमृत अभिजात)
Amrit Abhijat
प्रमुख सचिव
Date: 18-11-2024 18:56:10

उत्तर प्रदेश शासन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग

संख्या2183/69-1-2024-14(24)/2023-1720309

लखनऊः दिनांकः 18 नवम्बर, 2024

उपरोक्त एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।

11. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
13. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
15. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा।

(डा0 दीपक कोहली)

विशेष सचिव